

प्रेषक,

रमेश कुमार सुंघाशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 23 अक्टूबर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-40/2019 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरी गांव तक 03 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र0का0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 3.00 किमी0 एवं लागत ₹226.32 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 204. 17 लाख (₹ दो करोड चार लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

m

(ix) यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।


(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹0.10 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं.:-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्नक अलॉटमेंट आई.डी. संख्या-~~52400220016~~ दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 417 /XXVII(2)/2020 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।



भवदीय,
(रमेश कुमार सुंधार)
सचिव।

संख्या-1956 (1)/III(2)/20-04(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी I तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि. पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर (चमोली)।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., गोपेश्वर (चमोली)।
11. गाई फाईल।

20/10 949 /20 मार्च 2020

कार्यालय


मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

03-11-20

आज्ञा से,


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
1. क्षेत्रीय अभियन्ता, लो.नि.वि. पौड़ी,
2. अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. गोपेश्वर,
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. गोपेश्वर।



शासनादेश संख्या:- 1956//III(2)/20-05(एम.एल.ए.)/2017. टी.सी.1 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक
(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनु. लागत (लाख ₹ में)
1.	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-40/2019 के अन्तर्गत जनप्रद चमोली के विधान सभा बट्टीनाथ के के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार में बछेरी गांव तक 03 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य(विस्तृत आगणन)	3.00	204.17
	कुल	3.00	204.17


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
 Secretary-Secretary, PWD(S038)
 HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1956/III(2)/20-4(MLA)17TCI
 अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S20100220016
 आवंटन पत्र दिनांक-23-OCT-2020

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय

04-District and other Roads

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		1640000	10000	0	1650000							
योग		1640000	10000	0	1650000							

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER